

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	क्रि.
	14.2.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्वय का नवान्तरण हो गया। आदेशानुसार दिनांक 11/4/25 को पेश हो।	
	9.4.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी उपस्थित। पूर्विका की पासना में पत्रावली दिनांक 4/6/25 को पेश हो।	
	4.6.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी उपस्थित। पूर्विका की पासना में पत्रावली दिनांक 6/8/25 को पेश हो। DSC उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	6.8.25	पत्रावली पेश हुई। बादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 17/9/25 को पेश हो। DSC उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	17.9.25	पत्रावली पेश हुई। वारी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वारी की सज्जमानालय में धुंधला प्रमाण पत्र पर तीन-तीन बार आवाजे लगावानी गयी। आवृत्त भावाज लगावने के उपरांत भी वारी के सज्जमानालय में हाजिर नहीं होने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश - 9 नियम - 3 जा. दी. के तहत अदम हाजरी व अदम फेरवी में खारिज की गयी। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर ले काम हीनार दखिल रहकर ही। DSC उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	